

MSTP/DA.No-785
24/10/14

[TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
(Income-tax)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 22nd October, 2014

S.O. (E)- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Government of India, Central Board of Direct Taxes, notification number S.O. 732(E) dated the 31st July, 2001, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 31st July, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes, hereby,-

(a) directs that the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule-I annexed hereto, having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule-I, shall exercise the powers and perform the functions in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (6) of the said Schedule-I, of such persons or classes of persons being residents or not ordinarily residents in India as per section 6 of the Income-tax Act, 1961 and as specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule-I, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-I, in respect of all incomes or classes of income thereof;

Sl. No
27/10/14
(b) directs that the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the Schedule-II annexed hereto, having their headquarters at the places specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule-II, shall exercise the powers and perform the functions in respect of any cases or classes of cases, of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of income, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-II;

(c) authorises the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the said Schedule-I to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to them, in respect of such cases or classes of cases specified in the corresponding entries in column (6) of the said Schedule-I, of such persons or classes of persons specified in the corresponding entries in column (5) of the said Schedule-I, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-I, in respect of all incomes or classes of income thereof;

(d) authorises the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax specified in column (2) of the said Schedule-II to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax, who are subordinate to them, in respect of any cases or classes of cases, of any persons or classes of persons in respect of all incomes or classes of income, in such territorial areas specified in the corresponding entries in column (4) of the said Schedule-II;

(e) authorises the Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax referred to in clauses (c) and (d) of this notification, to issue orders in writing for exercise of the powers and performance of the functions by the Assessing Officers, who are subordinate to them, in respect of such specified area or persons or classes of persons or incomes or classes of incomes or cases or classes of cases, in respect of which such Additional Commissioners of Income-tax or Joint Commissioners of Income-tax are authorised by the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax referred to in clause (c) and (d) of this notification.

Explanation :-

For the purposes of this notification,-

(i) "residing" means,-

(a) in the case of an individual, place of residence, unless otherwise provided in this notification;

(b) in the case of an Hindu undivided family, place of residence of the Karta; and

(c) in the case of a firm or an association of persons or a body of individuals or a local authority and all other artificial juridical persons other than companies, the place where the head office is located.

(ii) in cases of companies whose names begin with any of the numerals (hereinafter "numeric companies"), the Principal Commissioners of Income-tax or Commissioners of Income-tax who exercise the powers and perform the functions in respect of companies whose names begin with the alphabet which is same as that of the first alphabet of the name of the numeric companies in words, shall exercise the powers and perform the functions in respect of those numeric companies.


(iii) column (2) of the schedule specifies the designation of Income-tax authorities as "Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax". The designation is to be understood as Principal Commissioner of Income-tax or Commissioner of Income-tax. For example, "Principal Commissioner/ Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1" refers to an income tax authority, which could either be Principal Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1, or Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1.

Note:

The Income-tax authorities referred to in column (2) of the schedule annexed to this notification shall not exercise powers and perform functions, which have specifically been assigned through separate notification(s), to an Income-tax authority having designation other than those mentioned in column (2) below.

2. This notification shall come into force with effect from 15th day of November, 2014.

[Notification No. 50 /2014. F. No. 187/38/2014 (ITA.I)]


DEEPSHIKHA SHARMA
Director

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ
भारत सरकार वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना 80/2014

नई दिल्ली, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. (अ)- आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3 उपखंड-(ii) में दिनांक 31 जुलाई, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ.732 (अ) दिनांक 31 जुलाई, 2001 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या न की गई वस्तुओं को छोड़कर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा,-

(क) यह निदेश देता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ (3) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, सभी आयों अथवा उनसे संबंधित आय के वर्गों के संबंध में उक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ (6) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों अथवा मामलों के वर्गों, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अनुसार भारत के निवासी अथवा भारत में सामान्य रूप से निवासी न होने के नाते ऐसे व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में तथा उक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ (4) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में उक्त अनुसूची-1 के स्तम्भ (5) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्यों का निष्पादन करेंगे;

(ख) निदेश देता है कि इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची-11 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (3) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थानों में हैं, उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में किसी मामले अथवा मामलों के वर्गों, सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा कार्य करेंगे;

(ग) उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों को उसके सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (5) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (6) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है;

(घ) उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों को उक्त अनुसूची-11 के स्तम्भ (4) में तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रादेशिक क्षेत्रों में किसी मामले अथवा मामलों के वर्गों, सभी आय अथवा आय के वर्गों के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है;

(ङ) इस अधिसूचना के खण्ड (ग) और (घ) में उल्लिखित अपर आयकर आयुक्तों अथवा संयुक्त आयकर आयुक्तों को इस अधिसूचना के खण्ड (ग) और (घ) में उल्लिखित प्रमुख आयकर आयुक्तों अथवा आयकर आयुक्तों द्वारा प्राधिकृत ऐसे संयुक्त आयकर आयुक्तों के संबंध में ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्गों अथवा आय अथवा सभी आय के वर्गों अथवा मामलों अथवा मामलों के वर्गों के संबंध में अपने अधीनस्थ कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग तथा कार्य निष्पादन के लिए लिखित रूप में आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत करता है।

स्पष्टीकरण:-

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,-

(i) "निवास" का आशय,-

क) किसी व्यक्ति के मामले में, निवास का स्थान, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा न दिया गया हो;

ख) किसी हिन्दू अविभाजित परिवार के मामले में, कर्ता के निवास का स्थान; और,

ग) किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा व्यष्टियों के निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकरण तथा कंपनियों से भिन्न सभी अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों के मामले में, वह स्थान जहां मुख्यालय स्थित है।

(ii) उन कंपनियों के मामले में जिनका नाम किसी संख्यावाचक (इसके बाद "अंकीय कंपनियों") से शुरू होता है, प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त जो ऐसी कंपनियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य निष्पादन करते हैं जिनके नाम ऐसे अक्षर से शुरू होते हैं जो अंकीय कंपनी के शब्दों में नाम के प्रथम अक्षर के समान हैं, उन अंकीय कंपनियों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग तथा कार्य निष्पादन करेंगे।

(iii) अनुसूची का स्तंभ (2) आयकर प्राधिकारियों के पदनाम को "प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त" के रूप में विनिर्दिष्ट करता है। पदनाम को प्रधान आयकर आयुक्त अथवा आयकर आयुक्त के रूप में समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए "प्रधान आयकर/आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1" से तात्पर्य ऐसे आयकर प्राधिकारी से होता है जो प्रधान आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 या आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1 इन दोनों में से कोई भी हो सकता है।

नोट:- इस अधिसूचना के साथ अनुबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित आयकर प्राधिकारी उन शक्तियों का प्रयोग तथा उन कार्यों का निष्पादन नहीं करेंगे जिन्हें नीचे स्तंभ (2) में उल्लिखित पदनामों वाले आयकर प्राधिकारियों के अलावा किसी अन्य आयकर प्राधिकारी को पृथक अधिसूचना (अधिसूचनाएं) द्वारा विशिष्ट रूप से सौंपा गया है।

2. यह 15 नवम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।

अधिसूचना सं. 50 /2014 फा.सं.187/38/2014-(आईटीए.1)

दीपशिखा
(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रालय,

रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

(राजौरी गार्डन के नजदीक)

नई दिल्ली।